संख्या: 15/2015/500/49-3-2015-100(9)/2012टी0सी0

प्रेषक,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 29मार्च , 2015

विषय- प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के लम्बित बिलों की प्रतिपूर्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 1095-96/कृषि-निवेश, दिनांक 23 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजीशनिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के भण्डारण, ब्याज एवं परिवहन मद में पूर्व बिलों का भुगतान न हो पाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से रू0 100.00 करोड़ में से कुल योग- रू0 53,83,21,120.00 शब्दों में (रू0 तिरपन करोड़ तिरासी लाख इक्कीस हजार एक सौ बीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है ।

ब्याज एवं भण्डारण मदों के बिलों का विवरण निम्नवत है :-- धनराशि रू0 में

अवधि	ब्याज की धनराशि	भण्डारण	कुल योग
अक्टूबर,2012	97350286.00	0.00	97350286.00
नवम्बर,2012	102413666.00	7464166.00	109877832.00
दिसम्बर,2012	80387244.00	9879745.00	90266969.00
जनवरी,2013	60386614.00	4636751.00	65023365.00
फरवरी, 2013	46032586.00	3175926.00	49208512.00
योग	386570376.00	25156588.00	411726964.00

पूर्व के बकाया परिवहन मद के बिलों का विवरण निम्नवत है :--

क्र0 सं0	**नाम समिति**	**वर्ष 2011-12**	**वर्ष 2012-13**	**वर्ष 2013-14**	**कुल बकाया धनराशि (3+4+5)**
1	2	3	4	5	6
1	चॉदपुर सहकारी क्रयविक्रय समिति बिजनौर	0.00	37335.23	249769.77	287105.00
2	डीसीएफ बिजनौर	0.00	56379.49	584929.85	641309.34
3	उ0प्र0सहकारी जूट एवं कृषि संघ लखीमपुर खीरी	0.00	32794.45	25855.00	58649.45
4	उ0प्र0सहकारी जूट एवं कृषि संघ सीतापुर	0.00	34863.56	55250.91	90114.47
5	उ0प्र0सहकारी जूट एवं कृषि संघ पीलीभीत	0.00	7610.86	74477.45	82088.31
6	डीसीएफ उन्नाव	0.00	39537.24	358701.97	398239.21
7	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार प्रतापगढ़	0.00	124571.58	303812.10	428383.68
8	डीसीएफ मुजफफरनगर	0.00	42545.98	340175.98	382721.96
9	डीसीएफ सीतापुर	0.00	23342.42	20732.94	44075.36

-----2/---

http://shasanadesh.up.nic.in

10	डीसीएफ सहारनपुर	0.00	166271.04	926070.75	1092341.79
11	डीसीएफ गाजीपुर	0.00	600899.97	175212.52	776112.49
12	डीसीएफ गोरखपुर	0.00	16932.26	0.00	16932.26
13	सहकारी क्रयविक्रय समिति आगरा	0.00	18815.89	1188603.25	1207419.14
14	सहकारी क्रयविक्रय समिति जंगीपुर गाजीपुर	0.00	274575.61	414440.00	689015.61
15	डीसीएफ मथुरा	0.00	57349.81	2943022.21	3000372.02
16	डीसीएफ इलाहाबाद	0.00	1842301.81	555567.68	2397869.49
17	डीसीएफ उरई(जालौन)	0.00	674315.81	761469.08	1435784.89
18	डीसीएफ आजमगढ़	0.00	0.00	77108.13	77108.13
19	डीसीएफ बुलंदशहर	711145.42	591329.26	1724624.10	3027098.78
20	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार एटा	0.00	398300.00	0.00	398300.00
21	रामपुर सहकारी क्रयविक्रय समिति	0.00	505720.92	832132.86	1337853.78
22	शाहाबाद सहकारी क्रयविक्रय समिति रामपुर	0.00	0.00	502994.74	502994.74
23	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार इलाहाबाद	0.00	89651.20	74442.62	164093.82
	समितियों का योग	711145.42	5635444.38	12189393.91	18535983.71
24	पीसीएफ, लखनऊ	**2726986.56**	**3042001.32**	**102289184.60**	**108058172.45**
	वृहद योग(पीसीएफ रू0108058172.45 एवं समितियॉ रू018535983.71)	**3438131.98**	**8677445.70**	**114478578.48**	**126594156.16**

3- इस प्रकार पूर्व के बकाया ब्याज, भण्डारण एवं परिवहन के बिलों का योग निम्नवत है:--

<u>ब्याज-- रू0 386570376.00 + भण्डारण-- रू0 25156588.00 + परिवहन-- रू0 126594156.00</u>

<u>कुल योग-- रू0 53,83,21,120.00</u>

4- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

5- धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृति की जा रही धनराशि मा0 मंत्रि-परिषद के निर्णय व शासनादेशों के अनुरूप है। धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1/2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22जुलाई,2014 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0, लखनऊ को इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2015 तक उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

----3/---

http://shasanadesh.up.nic.in

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-2-320/दस-2015, दिनांक: 29-3-2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 15/2015/500(1)/49-3-2015,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,32स्टेशन रोड, लखनऊ ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0(नवें तल), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in